"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल 2006—चैत्र 14, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/25/2006/वाक/पांच (13).—छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2003/वाक/पांच (40) दिनांक 01-05-2003 में अंक "2006" के स्थान पर अंक "2007" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/25/2006/वाक/पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/25/2006/वाक/पांच (13), दिनांक 30-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/25/2006/CT/V (13).— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988), the State Government hereby makes the following amendment :—

AMENDMENT

In the notification number F-10/20/2003/CT/V (40) dated 01-05-2003, for the figure "2006", the figure "2007" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (14).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रभावशील होने का दिनांक 1 अप्रैल, 2006 नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (14), दिनांक 30-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/28/2006/CT/V (14).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby appoints 1st April, 2006 the date on which this Act shall come in to force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (15).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 01-4-2006 से 31-3-2007 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	अगरबत्ती एवं धूप	संपूर्ण कर
2.	नारियल	संपूर्ण कर
3.	आटा, मैदा, सुजी, बेसन, चुनी, चोकर तथा दलिया	संपूर्ण कर
4.	चपड़ा, लाख एवं कित्ती	संपूर्ण कर
5.	कोसायार्न तथा सभी प्रकार के कुकुन	संपूर्ण कर
6.	फ्लाई-एश ब्रिक्स	संपूर्ण कर
7.	इलेक्ट्रिकल वायर तथा केबल	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
8.	लघु वनोपज	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (15), दिनांक 30-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/28/2006/CT/V (15).— In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2006 to 31-3-2007:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Agarbatti and Dhoop	Whole of tax
2.	Coconut	Whole of tax
3.	Atta, maida, suji, besan, chuni, chokar and porridge.	Whole of tax
4.	Shellac, Lac and Kitti	Whole of tax
5.	Kosa yarn and all kinds of Cocoons	Whole of tax
6.	Fly-ash bricks	Whole of tax
7.	Electrical wire and cable	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent
8.	Minor forest produce	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूचीं में विनिर्दिष्ट किराना सामान को 01-04-2006 से 31-3-2007 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए, छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अनु. (1)	वस्तुओं का नाम (2)
1.	एलवा
2.	अजवान
3.	आंबा हल्दी
4.	अम्बर
5.	अमचूर
6.	अनारदाना
7.	अतीसबीज
8.	बबूल बीज

(1)	(2)
9.	बबूल बीज पावडर
10.	बाड़ीयान
11.	बगड़खार
12.	बायखुबा
13.	बालूचा
14.	वापची
15.	बेदाना
16.	बीजवन
17.	भरमी
18.	भोजपत्र
19.	चबक
20.	चरोटा बीज
21.	चिरमू
22.	चितावर
23.	दालचीनी
24.	दारूहल्दी
25.	धनिया
26.	डीकामाली
27.	गाजबान
28.	गरम मसाला
29.	गरनीबीज
30.	गटारन
31.	घोड़बख्श
32.	गोदन्ती
33.	गोपीचंदन
34.	गेले गाजवान
35.	गुलखेरू
36.	इलायची
37.	हजरत बेर
38.	हरकाचरी
39.	हारबेर
40.	हीरा दक्खन
41.	हीरागोल
42.	हीराकसी
43.	हिंगलु
44.	इन्द्रजव
45.	इरानी
46.	जायपत्री
47.	जायफल
48.	जमालगोटा
49.	जराकुश
50.	जटामासी
51.	जूलाफादर
52.	कड़ाघोल
53.	कड़ायागुदल
54.	कड़वी काचरी
55.	कगाचिया

(1)	(2)
56.	काहुक
57.	कलोंजी
58.	काली मिर्च
59.	कमलगट्टा
60.	कपिल
61.	कवचा
62.	खेंछानी लकड़ी
63.	खुबाजी
64.	खुरमासी
65.	कुल्फा
66.	लाजवंती
67.	लालचन्दन
68.	लोभान
69.	लोंग
70.	मदनमस्त
71.	मजीठा
72.	आमगिरी
73.	मस्तंगी
74.	मेनफल
75.	मैथी
76.	मुरदासिंगी
77.	नरकचूर
78.	नैंगड़बीज
79.	निरमली
80.	पदमकाष्ट
81.	पखाजेवत
82.	पापड़खार
83.	पत्थर फूल
84.	पित्त पापड़ी
85.	प्रवाल
86.	पुनर्वा
87.	रब्बेसूरा
88.	रजका बीज
89.	रस कपूर
90.	रेवनसारसत
91.	साबूदाना
92.	सज्जी
93.	सालम मिश्री
94.	समुद्रफल
95.	समुद्रफेन
96.	समुद्रसाफ
97.	शाहजीरा
98.	सिंघाड़ा
99.	सिंचरफ
100.	सोनापाली
101.	सोंठ
102.	सुहागा

(1)	(2)
103.	सुरमा
104.	सुवा
105.	तेजपान
106.	तोमरबीज
107.	तुकमलंगा
108.	विधनाथ

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16), दिनांक 30-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/28/2006/CT/V (16).— In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the kirana goods, specified in the Schedule below from payment of tax partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent under the said Act for the period from 01-04-2006 to 31-3-2007:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
1.	Ailwa
2.	Ajwain
3.	Amba Haldi
4.	Amber
5.	Amchur
6	Anardana
7.	Atisbeej
8	Babool seed
9.	Babool seed powder
10	Badiyan
11.	Bagadkhar
12.	Baikhumba
13.	Baluja
14.	Bapachi

(1)	(2)
15.	Bedana
16.	Beejban
17.	Bharmi
18.	Bhojpatra
19.	Chabak
20.	Charota seed
21.	Chirmu
22.	Chitawar
23.	Dalchini
24.	Daruhaldi
25.	Dhania
26.	Dikamali
27.	Gajban
28.	Garaam masala
29.	Garni Beej
30.	Gataran
31.	Ghodbachh
32.	Godanti
33.	Gopichandan
34.	Gule Gajwan
35.	Gulkheru
36.	Ilaichi
37.	Hajratber
38.	Har Kachri
39.	Haruber
40.	Heera Dakkhan
41.	Heeragol
42.	Heerakasi
43.	Hinglu
44.	Indrajav
45.	Irani
46.	Jaipatri
47.	Jaiphal
48.	Jamalgota
49.	Jarakush
50.	Jatamasi
51.	Julaphadar
52.	Kadachhal
53.	Kadaya Gudal
54.	Kadvi kachri
55.	Kagachiya
56.	Kahuk
57.	Kalaunji
58.	Kali Mirch
59.	Kamal Gatta
60.	Kapil
61.	Kawacha
62.	Khaichini Lakdi
63.	Khubaji
64.	Khurmasi
65.	Kulfa
66.	Lajwanti
67.	Lalchandan
68.	Lobhan
69.	Loung
70.	Madanmast

(1)	(2)
71.	Magitha
72.	Mango seed
73.	Mastangi
74.	Menphal
75.	Methi
76.	Murdasingi
77.	Narkachur
78.	Negadbeej
79.	Nirmali
80.	Padamkashta
81.	Pakhanbet
82.	Papadkhar
83.	Patharphool
84.	Pitta Papdi
85.	Prawal
86.	Punerva
87.	Rabvesara
88.	Rajka seed
89.	Rashapoor
90.	Rawansarasat
91.	Sabudana
92.	Sajji
93.	Salam Mishri
94.	Samudraphal
95.	Samudraphen
96.	Samudrasaunf
97.	Shahjeera
98.	Singhara
99.	Singhraf
100.	Sonapali
101.	Sonth
102.	Suhaga
103.	Surma
104.	Suwa
105.	Tejpat
106.	Tomorbeej
107.	Tukmalanaga
108.	Vidyanath

By ordar and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कालम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत दिनांक 1-4-2006 से 31-3-2007 तक के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	शक्कर	अशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.25 प्रतिशत हो जाय.	
2.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार), (पांच) में वर्णित लोहा एवं इस्पात तथा प्रवर्ग (छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स.	सम्पूर्ण कर	जब कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित स्टील रि-रोलिंग मिल में निर्मित हो.
3.	एच. डी. पी. ई./पी. पी. बैग्स	सम्पूर्ण कर	जब कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत ऐसे अन्य व्यवसायी से क्रय किया जाए, जिसके द्वारा उक्त माल छत्तीसगढ़ राज्य में एच. डी. पी. ई./पी. पी. कणों से निर्मित किया गया हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17), दिनांक 30-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/29/2006/CT/V (17).— In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from 01-04-2006 to 31-3-2007, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions and conditions (4)
1.	Sugar	Partly so as to reduce the rate of tax to 0.25 percent.	
2.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v), hoops and strips falling in category (vi) clause (IV) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.	Whole of tax	When the goods specified in column (2) are manufactured in a steel re-rolling mill situated in Chhattisgarh state.
3.	H.D.P.E./P.P. bags.	Whole of tax	When the goods specified in column (2) are purchased by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from another such registered dealer who has manufactured the said goods from H. D. P. E./P. P. granules in Chhattisgarh state.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2006/वाक/पांच (18).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धा [illegible]-क की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

1. (क) नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करता है, और

(ख) उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित ऐसे मालों को विनिर्दिष्ट करता है जिनका उपयोग स्वनिर्मित माल की पैकिंग के लिए उस स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है,

2. यह निर्देश देती है कि उस तारीख से जो कि उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गई है, वह प्रवेश कर जो कि किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो, उक्त माल से संबंधित उसकी कराध्येय मात्रा पर, कालम (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट की गई दर से प्रभारित किया जाएगा.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	स्थानीय क्षेत्र (2)	माल (3)	तारीख (4)	कर दी दर (5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	एच. डी. पी. ई./पी. पी. बैग्स	01-04-2006	5%

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/29/2006/वाक/पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2006/वाक/पांच (18), दिनांक 30-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/29/2006/CT/V (18).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby :-

1. specify-
   (a) Local areas mentioned in column (2) of the schedule below, and
   (b) The goods mentioned in column (3) of the said schedule, which are used for packing of own manufactured goods in the said local areas.

2. Directs that as from the date specified in column (4) of the said schedule, the Entry Tax payable by a dealer under this Act, shall be charged on his taxable quantum relating to the said goods, at the rate specified in the corresponding entry in column (5).

SCHEDULE

S. No. (1)	Local Area (2)	Goods (3)	Date (4)	Rate of Tax (5)
1.	All local areas in the State of Chhattisgarh.	H. D. P. E./P. P. bags	01-04-2006	5%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/30/2006/वाक/पांच (19).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है:—

अतएव, छत्तीसगढ़ वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नियोजन में के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी रुपये 2,50,000 से अधिक नहीं है, को 01-04-2006 की प्रभावशीलता से उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधानों के क्रियान्वयन से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/30/2006/वाक/पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/30/2006/वाक/पांच (19), दिनांक 30-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/30/2006/CT/V (19).— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government hereby exempts the persons in employment whose annual salary or wage does not exceed Rs. 2,50,000 from the operation of all the provisions of the said Adhiniyam with effect from 01-04-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/31/2006/वाक/पांच (20).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2006), की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रभावशील होने का दिनांक 1 अप्रैल, 2006 नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/31/2006/वाक/पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/31/2006/वाक/पांच (20), दिनांक 30-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/31/2006/CT/V (20).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Chhattisgarh Value Added Sales Tax (Amendment) Act, 2005 (No. 2 of 2006), the State Government hereby appoints 1st April, 2006 the date on which this Act shall come in to force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.